

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, the hon. Member has raised a very important and sensitive issue. We all associate with that and I would request the Minister of External Affairs to make a statement in the House in this regard.

**Need to amend the New Advertising Policy declared
on the 15th of June, 2016**

श्री पी. एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। यह विषय लघु और मध्यम समाचार पत्रों की समस्याओं के बारे में है। भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा 15 जून, 2016 को विज्ञापन नीति 2016 की घोषणा की। ताज्जुब की बात यह है कि सरकार ने नीति निर्धारण करने से पहले न तो किसी स्टेकहोल्डर से, प्रकाशकों से, सम्पादकों से वार्ता की और न ही उनके साथ कोई विचार-विमर्श हुआ।

लघु, मध्यम समाचार-पत्रों के बारे में आप जानते हैं कि केंद्र की और राज्यों की जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, उन्हें दूर स्थानों तक ये पहुंचाते हैं, ले जाते हैं, जिससे हजारों ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी मिलता है। इन समाचार-पत्रों में 90 फीसदी समाचार होते हैं और करीब केवल 10 परसेंट विज्ञापन होते हैं। इनमें सामाजिक समाचार ज्यादा होते हैं। इस नई विज्ञापन नीति के कारण छोटे, मध्यम समाचार पत्र बंद होंगे और बड़े समाचार पत्रों को फायदा होगा।

महोदय, इन्होंने इसमें कई शर्तें लगाई हैं। चूंकि आरएनआई में कर्मचारियों की कमी है, जिसके चलते ये समाचार-पत्रों के प्रचार, प्रसार, सर्कुलेशन की जांच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यह शर्त रखी गई है कि इनको आरएनआई के सर्कुलेशन का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। दूसरी शर्त यह भी लगाई गई है, वैसे तो विज्ञापन निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, लेकिन पीटीआई, यूएनआई, हिन्दुस्तान न्यूज एजेंसी से प्रमाण-पत्र लिया जाए और इस काउन्सिल में वार्षिक शुल्क जमा करने का भी प्रावधान है, जबकि आरएनआई में वे पहले से रजिस्टर्ड हैं। लघु, मध्यम समाचार-पत्रों के प्रकाशकों से पीएफ एकाउंट भी मांगा गया है। समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापनों के लिए डीएवीपी पैनल में आने के लिए पहले 18 महीने पहले का पुराना अखबार होना चाहिए था, अब इसे बढ़ा कर 36 महीने कर दिया है और बड़े अखबारों के लिए वह घटा कर एक साल, यानी 12 महीने कर दिया है, जो एक बड़ी ज्यादाती है। नई विज्ञापन नीति के अनुसार समाचार-पत्रों के पास अपना प्रिंटिंग प्रेस भी होना चाहिए, लेकिन यह डेढ़ करोड़ से ज्यादा का प्रिंटिंग प्रेस एक छोटे अखबार का प्रकाशक कैसे लगाएगा? यह सोचने की बात है और जो शर्तें लगाई गई हैं, ये पूरी तरह से न्यायसंगत नहीं हैं। अतः जो छोटे और मध्यम समाचार-पत्र हैं, उनके प्रकाशकों से विचार-विमर्श करने के बाद नीति पुनःनिर्धारित की जाए और जो पहले यह विज्ञापन नीति घोषित की है, इसको रोका जाए और केवल विचार-विमर्श करने के बाद ही आगे कार्रवाई हो। धन्यवाद।

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

SHRI VIVEK GUPTA (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको संबद्ध करती हूँ।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती झरना दास बैद्य (त्रिपुरा): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको संबद्ध करती हूँ।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, इस संदर्भ में मेरा कहना यह है कि देश में 8180 अखबार हैं, ...**(व्यवधान)**... जो छोटे और मझोले अखबार हैं, ऐसे केवल लगभग 128 अखबार बचेंगे ...**(व्यवधान)**... यह छोटे और मझोले अखबार वालों के साथ अन्याय है, खेत और खलिहान के साथ अन्याय है।

†چودھری منور سلیم (اُتر پردیش): اب سبھا پتی مہودے، اس سندرہ میں میرا کہنا یہ ہے کہ دیش میں 8180 اخبار ہیں، ---**(مداخلت)**--- جو چھوٹے اور مجھولے اخبار ہیں، ایسے صرف لگ بھگ 128 اخبار بچیں گے ---**(مداخلت)**--- یہ چھوٹے اور مجھولے اخبار والوں کے ساتھ نا انصافی ہے، کھیت اور کھلیہان کے ساتھ نا انصافی ہے۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, you have associated.

Alleged fraud amounting to ₹ 302 crores in a branch of the Indian Overseas Bank in Chandigarh

श्री हरिवंश (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, हमने बचपन में एक कहावत सुनी थी - "गड्ढा खोदना और गड्ढे में पानी डालना"। यही स्थिति हमारे बैंकिंग सेक्टर में दिखाई देती है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं एक गंभीर घटना का उल्लेख करूंगा, जो इसी अगस्त माह की घटना है। सूचना यह है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के चंडीगढ़ शाखा में फॉरेन एक्सचेंज के एक ऑफिसर ने भारी गड़बड़ी की। फरवरी, 2015 से लेकर फरवरी, 2016 के बीच बैंक की शब्दावली में बाइअर्स क्रेडिट एकाउंट के तहत यह गड़बड़ी की गई। अब तक की जानकारी के अनुसार 302 करोड़ रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है, जो और भी बड़ा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह पैसा निकाल कर अपने ही विदेशी एकाउंट में डाल रहे थे। सूचना यह है कि यह गड़बड़ी ऑफिसर्स एसोसिएशन के संरक्षण में हुई। आरंभिक जानकारी यह भी है कि यह अधिकारी बैंक से पहले छह वर्षों तक गायब रहा, अनऑथराइज्ड एब्सेंस लंबी छुट्टी के बाद फिर इसे फॉरेन एक्सचेंज में महत्वपूर्ण पद मिला। फिर कई वर्षों तक वह इसी पद पर बना रहा। यह जानकारी मिली है कि प्रायः छुट्टी लेकर यह ऑफिसर विदेश जाता था, जहां फॉरेन एक्सचेंज के तहत अपनी की गई गड़बड़ी को मैनेज करता था। कई सौ करोड़ के इस फ्रॉड में विदेश जाने की अनुमति या एनओसी उसे ऑफिसर्स एसोसिएशन के संरक्षण में मिल रही थी। मैं

† Transliteration in Urdu script.